ceived in the Ministry of Health & Family Welfare signed by three honourable M.P.s suggesting appointment of a medical person as Director of the Institute; also for ensuring proper use of the existing equipment/available beds and also for conducting an inquiry for better utilisation of the institute. A Committee constituted by the Ministry of Health & FW had given various suggestions for improving its clinical and laboratory facilities which have been brought to the notice of the Delhi University and the Department of Education.

कश्मीरी प्रवासियों की उनके गृह राज्य में वापसी

240. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जम्मू और कश्मीर के कितने नागरिकों ने अपने घरों को छोड़ा हुआ है और देश के अन्य भागों में शरण ली हुई है;

(ख) सरकार उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है; और

(ग) सरकार उनको उनके अपने घरों को वापस लोटाने के लिये क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन): (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों की संख्या का विवरण, विवरण-I के रूप में संलग्न हैं (नीचे देखिए)।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र सरकारें, उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू मानदण्डों/नियमों के अनुसार और उनके संसाधनों के अनुसार, राहत उपलब्ध कराती है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राहत की दरों को दिखाने वाला एक विवरण विवरण-II के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए)। कश्मीरी प्रवासियों को शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य सुविधाऐं भी दी जा रही हैं। शिविरों में रह रहे प्रवासियों को मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधाएँ, बिजली जल आपूर्ति इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) अक्तूबर, 1996 में इस राज्य में विधान सभा के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद एक लोकप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के साथ ही राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के अपने मूल निवास स्थान को वापस लौटने के बारे में एक कार्य-योजना तैयार करती रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है क्योंकि इस समस्या से राजनैतिक-आर्थिक आधार पर निपटना होगा। राज्य सरकार ने कार्य-योजना तैयार करने के लिए राजस्व, राहत एवं पुनर्वास मंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति तथा वित्त आयुक्त (योजना एवं विकास) के नेतृत्व में एक उपसमिति गठित की है।

विवरण-I

विभिन्न राज्य में रह रहे जम्मू और कश्मीर के परिवार

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या
01.	जम्मू	28,561
02.	दिल्ली	19,338
03.	हिमाचल प्रदेश	115
04.	हरियाणा	722
05.	चंडीगढ़	142
06.	पंजाब	420
07.	उत्तर प्रदेश	500
08.	मध्य प्रदेश	50
09.	कर्नाटक	60
10.	गोवा	90
11.	तमिलनाडु	21
12.	महाराष्ट्र	124
13.	राजस्थान	54
14.	आन्ध्र प्रदेश	51
		50248

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में राहत की मात्रा

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 450 रु॰ की नगद राहत दे रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 1800 रु॰ प्रति माह प्रति परिवार है और जरूरतमंद

प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 9 किलोग्राम चावल और दो किलोग्राम आटा और प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी।

इसके राहतों के अलावा, प्रवासियों को उनकी सम्पत्ति को हुए नुकसान के लिए अनुग्रहपूर्वक राहत दी जा रही है जो अचल सम्पत्ति को हुए नुकसान का 50% के बराबर है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रु० है।

दिल्ली

दिल्ली में, जो प्रवासी स्वयं प्रबन्ध करके रह रहे हैं उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 450 रु० की नगद राहत, जिसकी अधिकतम सीमा 1800 रु० है, दी जा रही है और शिविरों में रह रहे प्रवासियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 300 रु० की नगद राहत, जिसकी अधिकतम सीमा 1200 रु० है और अनाज, जिसमें निम्नलिखित मदें हैं, दी जा रही है:—

1. चावल — 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार प्रति माह 32 किलोग्राम है।
2. आटा — प्रति व्यक्ति 2.5 किलोग्राम जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 10 किलोग्राम प्रति माह है।
3. चीनी — प्रति व्यक्ति 625 ग्राम, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार प्रति माह 2.5 किलोग्राम है।
4. दालें — प्रति व्यक्ति 750 ग्राम, अधिकतम 3 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
5. मिट्टी का तेल — 15 लीटर प्रति परिवार प्रति माह।
6. खाद्य तेल — 750 ग्राम प्रति व्यक्ति, अधिकतम 3 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
7. आलू — 5 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
8. प्याज — 1.25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, अधिकतम 5 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
9. नमक — 50 ग्राम प्रति व्यक्ति, अधिकतम 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार, रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं जैसे बर्तन इत्यादि की खरीद के लिए प्रति परिवार 1500 रु० की एक मुश्त अदायगी और प्रति माह प्रति परिवार 750 रु० की नगद सहायता दे रही है।

राजस्थान

राजस्थान सरकार 500 रु० प्रति माह प्रति परिवार की नगद राहत सहायता दे रही है।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश

पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकार चार या चार से अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति परिवार प्रति माह 460 रु० की दर से नगद राहत दे रही है और इसके अलावा बर्तन, बिस्तर इत्यादि की खरीद के लिए 860 रु० की एक मुश्त सहायता दे रही है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 200 रु० की नगद राहत दे रही है। उन्हें राशन कार्ड और सर्दियों में कम्बल दिए जाते हैं।

चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन फरवरी 1994 से प्रति माह प्रति सदस्य 250 रु० की दर से नगद राहत का भुगतान कर रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 रु० प्रति परिवार है, इसके अलावा शिविरों में ठहरे हुए आप्रवासियों को दूध, ब्रेड, राशन और मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाता है और जो अपनी व्यवस्था स्वयं करके रह रहे हैं उन्हें 375 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से दे रही है जिसकी अधिकतम सीमा 1500 रु० प्रति माह प्रति परिवार है।

हरियाणा

हरियाणा सरकार डिग्री स्तर तक मुफ्त शिक्षा सुविधाऐं (केवल शिक्षा शुल्क), अस्थायी राशन कार्ड, सामुदायिक आवास, मुफ्त चिकित्सा सहायता (केवल वहिरंग रोगी विभाग) दे रही है।

Setting up of training camps by Kashmiri Militants

241. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kashmiri militants have set up camps within the territory of Jammu and Kashmir to train the youths in militancy;

(b) if so, whether the recent spurt in militant activities in the border districts of Rajouri and Poonch is an outcome of these camps; and

(c) if so, the steps taken by Government to demolish such camps?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (c) Government are aware of the reports and efforts by the militants to indulge in terrorist activities in the Rajouri and Poonch areas of Jammu & Kashmir. Steps are being taken on a continuous basis to ensure that such activities and designs can be effectively contained. The steps taken include increased vigilance on the border/LOC, strengthening of security arrangements in the area including increased and intensified involvement of the local police as well as the people of the area, through Village Defence Committees etc. A close watch is being maintained on the developments which are being closely monitored.

रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार

242. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में कितने अभ्यर्थियों के नाम दर्ज थे;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान यह संख्या बढ़ी है अथवा घटी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितने पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ;

(घ) सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) 31.4.97 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या 376.21 लाख थी तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संख्या में मामूली वृद्धि लक्षित हुई है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए वर्षवार पुरुष एवं महिला नियोजन संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1993-94 के दौरान किए सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी दर, कुल श्रम बल का 2.56% है।

(ङ) 9वीं योजना के दृष्टिकोण में, पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन तथा गरीबी के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। रोजगार एवं बेरोजगारी की उच्च दर की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम गहन सैक्टरों, उप-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण करते हुए विकासात्मक प्रक्रिया में उच्च उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित हो जाएगा।